अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 36 / 2013

राजेश्वर नट

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 2291 दिनांक 29.06.13 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 12.04.13 को अनुमंडल स्तरीय जॉच दल के जॉच पदाधिकारी श्री अशोक कुमार मंडल, वरीय उप समाहर्ता मढौरा के द्वारा राजेश्वर नट, ज०वि०प्र०वि० अनुज्ञप्ति सं० 68 / 07 पंचायत चकियॉ प्रखंड पानापुर की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में, निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः– 1. बी०पी०एल० योजना में 10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल देकर 150 रू० लिया जाता है। 2. अन्त्योदय योजना में 10 किलो गेहूँ एवं 10 किलो चावल देकर 100 रू० लिया जाता है। 3. उपभोक्ताओं द्वारा बयान दिया गया है कि 2.50 लीटर किरासन तेल देकर 50 रू० लिया जाता है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1405 दिनांक 26.04.13 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा अपने ज्ञापांक 2291 दिनांक 29.06.13 के द्वारा विक्रेता की अनु० रद्द कर दी गई	

जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा अपनी दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं को 10 किलो ग्राम गेहूँ एवं 15 किलो ग्राम चावल 154 रू0 में दिया जाता है। अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 14 किलो गेहूँ एवं 21 किलो चावल मात्र 91 रू0 अपने उपभोक्ताओं को दिया जाता है। उनके द्वारा अपने सभी उपभोक्ताओ को 2.75 लीटर किरासन तेल 46 रू0 में दिया जाता है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनुदानित सामग्री का वितरण किया जाता है। विक्रेता के पक्ष में उनके उपभोक्ताओं के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जो सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य के द्वारा अनुशंसित है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विभागीय दिशा निर्देश के प्रतिकूल विक्रेता के द्वारा आचरण किया गया। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2291 दिनांक 29.06.13) में कई कमियॉ नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा में कहीं भी विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले उपभोक्ता का नाम अंकित नहीं है। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति के संबंध में स्पष्ट विवरणी कारण पृच्छा में अंकित की जाय। इसके बिना कारण पृच्छा अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। यदि जॉच के कम में विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजात में कोई कमी या कोई अनियमितता पाई जाय, तो यह आवश्यक है कि उस संबंध में विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाय, एवं उनसे प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक विधि सम्मत आदेश पारित किया जाय, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। अतः अनुज्ञापन आदेश

को त्रूटिपूर्ण पाकर उसे निरस्त करते हये अपीलार्थी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 19.07.13 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

23/07/13

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/07/13

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 497 / दिनांक 25/7/13

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
24/7/13